केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/292 दिनांक: 03.08.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00289
CICOM/R/2016/00818

अपीलकर्ता : श्री के.के.गुप्ता,
मार्फत हरिओम जेरोक्स,
निकट माडर्न पेट्रोलियम,
झालावाड़ रोड, कोटा – 324007.

निर्णय की तारीख : 03.08.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.05.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	अनुत्तरित
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	-----
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	152826/08.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	403/11.07.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के आदेश सं. CIC/BS/A/2013/002659/VS/09590, अपील सं. CIC/BS/A/2013/002659/VS से संबंधित दिनांक 23.10.2015 तथा 27.02.2016 को भेजे गए पत्रों के संबंध में 6 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 13.05.2016 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि 07.06.2016 को आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 141989) तथा दिनांक 15.06.2016 को आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ । अपीलकर्ता के इस आवेदन श्री वी.के. चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा अधिनियम की धारा 5(2) के तहत प्रतिउत्तर हेतु श्री ए.के.तलपात्रा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय को सूचना प्रदान करने हेतु इस अनुरोध के साथ अग्रसारित किया गया कि यदि आर.टी.आई. आवेदन का कोई बिंदु आपसे संबंधित नही है तो कृपया संबंधित जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित करें, परन्तु श्री ए.के.तलपात्रा द्वारा अभी तक इस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित पत्रों के संदर्भ में आयोग की वेबसाईट में उपलब्ध आंकड़ों की जांच की गई तो पाया गया अपीलकर्ता का उक्त पत्र उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय का अग्रसारित किया गया है । अत: **श्री के.एल.दास, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय को आर.टी.आई आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

संलग्नक : यथोपरि ।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री ए.के.तलपात्रा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री के.एल.दास, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C. / के० सू० आ०
RECEIVED
08 AUG 2016
Initials.......

C. I. C. / के० सू० आ०
ISSUED
09 AUG 2016
D. No.......